

अपील सूचना अधिकार संख्या 70/2021 (GCMS 2021/111) श्री रजनीश चौहान, एडवोकेट 7-आई-43, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर बनाम तहसीलदार, श्रीगंगानगर
20.10.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री रजनीश चौहान उपस्थित हुआ। अपीलार्थी ने कथन किया कि उसने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 26.06.2021 से तहसीलदार, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत ग्यारह बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27.07.2021 को पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.06.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

1. यहकि पटवार मण्डल, मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर की कृषि भूमि को Computerised online प्रारम्भ करने के लिए दिए गए आदेश एवं कार्य पूर्ण होन तक के सम्पूर्ण आदेशों की प्रमाणित प्रति।
2. यहकि पटवार मण्डल तहसील श्रीगंगानगर की कृषि भूमि चक 7 एफ बड़ा संवत 2067-2070 के खाता संख्या 19 के मुरब्बा नम्बर 7, 41, 42 को जिस दिन Computerised online किया गया था कि सम्पूर्ण जानकारी की प्रमाणित प्रति।
3. यहकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1985 की धारा 42 अन्तर्गत उक्त कृषि भूमि पर की गई कार्य किसी भी न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की प्रति।
4. यह कि Computerised Land Records online करते समय हुई त्रुटि/लोप के सम्बन्ध में शुद्धि हेतु प्रावधान कि सम्पूर्ण जानकारी की प्रमाणित प्रति।

जिला क्लैक्टर
श्रीगंगानगर

5. यहकि Computerised Land Records online चैक करना व कोई भी परिवर्तन करना किस अधिकारी का दायित्व है कि सम्पूर्ण जानकारी की प्रमाणित प्रति।
6. यहकि Computerised Land Records online तहसील श्रीगंगानगर का कार्य किन कर्मचारियों द्वारा करवाया गया था कि सम्पूर्ण नाम व दिनांक सहित सम्पूर्ण जानकारी की प्रमाणित प्रति।
7. यहकि तहसील कार्यालय श्रीगंगानगर द्वारा Computerised Land Records online करते पटवार मण्डल मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर की कृषि भूमि चक 7 एफ बड़ा, संवत 2067-70 के खाता संख्या 19 के मुरब्बा नं. 7, 41, 42 कितनी बार CheckList जमाबंदी निकाली गई एवं किस दिनांक को एवं इन CheckList जमाबन्दी को किस अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया, की प्रमाणित प्रति।
8. यहकि तहसील कार्यालय श्रीगंगानगर द्वारा Computerised Land Records online करते समय CheckList जमाबंदी कासे फाईनल करने के सम्बन्ध में प्रावधान एवं नियमों की प्रमाणित प्रति।
9. यहकि तहसील कार्यालय श्रीगंगानगर द्वारा Computerised Land Records online कार्य पूर्ण होने के बाद आज दिनांक 26.06.2021 तक तहसील श्रीगंगानगर में कितने खातों में शुद्धि की जा चुकी है कि सम्पूर्ण जानकारी की प्रमाणित प्रति।
10. यह कि तहसील कार्यालय श्रीगंगानगर द्वारा किस वर्ष में कृषि भूमि हैक्टर में की गई थी के आदेश की प्रमाणित प्रति।
11. यह कि पटवार मण्डल मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर की कृषि भूमि चक 7 एफ बड़ा संवत 2067-70 के खाता संख्या 19 के मुरब्बा नं 7, 41, 42 में हरीराम, मालूराम पि. साजनराम ब.हि.ब. 41/12 हि. कृषि भूमि को हैक्टर में परिवर्तन करने की पूर्ण प्रक्रिया की प्रमाणित प्रति।

तहसीलदार (भूअभिलेख), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक भूअ./ 2829

दिनांक 11.10.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1	यहकि पटवार मण्डल, मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर की कृषि भूमि को Computerised online प्रारम्भ करने के लिए दिए गए आदेश एवं कार्य पूर्ण होन तक के सम्पूर्ण आदेशों की प्रमाणित प्रति।	डी आई एल आर एम एफ राष्ट्रीय स्तर की योजना है मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2012-13 के क्रम में सम्पूर्ण 01.11.2012 से शुरू हुई इस बाबत जारी विभिन्न आदेश की प्रमाणित प्रति /अवलोकन नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर प्राप्त करें।
2	यहकि पटवार मण्डल तहसील श्रीगंगानगर की कृषि भूमि चक 7 एफ बड़ा संवत 2067-2070 के खाता संख्या 19 के मुरब्बा नम्बर 7, 41, 42 को जिस दिन Computerised online किया गया था कि सम्पूर्ण जानकारी की प्रमाणित प्रति।	आपके द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नवाचक होने के कारण सूचना के अधिकार में देय नहीं है।
3	यहकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1985 की धारा 42 अन्तर्गत उक्त कृषि भूमि पर की गई कार्यवाही, किसी भी न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की प्रति।	आप द्वारा किसी आदेश क्रमांक व दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया है, संकलित कर/खोज कर कोई सूचना देने का प्रावधान नहीं है। अतः आप कार्यालय समय पर उपस्थित आकर पत्रावली का अवलोकन कर शुल्क जमा करवाकर नकल प्राप्त कर सकते हैं।

		<p>4 यह कि Computerised Land Records online करते समय हुई त्रुटि/लोप के सम्बन्ध में शुद्धि हेतु प्रावधान कि सम्पूर्ण जानकारी की प्रमाणित प्रति।</p>	<p>शुद्धि हेतु एल.आर.एक्ट की प्रति कार्यालय समय में निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्राप्त करें।</p>
		<p>5 यहकि Computerised Land Records online चैक करना व कोई भी परिवर्तन करना किस अधिकारी का दायित्व है कि सम्पूर्ण जानकारी की प्रमाणित प्रति।</p>	<p>आपके द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नवाचक होने के कारण सूचना के अधिकार में सूचना दिया जाना संभव नहीं है।</p>
		<p>6 यहकि Computerised Land Records online तहसील श्रीगंगानगर का कार्य किन कर्मचारियों द्वारा करवाया गया था कि सम्पूर्ण नाम व दिनांक सहित सम्पूर्ण जानकारी की प्रमाणित प्रति।</p>	<p>आपके द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नवाचक होने के कारण सूचना के अधिकार में सूचना दिया जाना संभव नहीं है।</p>
		<p>7 यहकि तहसील कार्यालय श्रीगंगानगर द्वारा Computerised Land Records online करते पटवार मण्डल मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर की कृषि भूमि चक 7 एफ बड़ा, संवत 2067-70 के खाता संख्या 19 के मुरब्बा नं. 7, 41, 42 कितनी बार CheckList जमाबंदी निकाली गई एवं किस दिनांक को एवं इन CheckList जमाबन्दी को किस अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया, की प्रमाणित प्रति।</p>	<p>आपके द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नवाचक होने के कारण सूचना के अधिकार में सूचना दिया जाना संभव नहीं है।</p>


 जिला कलेक्टर
 श्रीगंगानगर

8	यहकि तहसील कार्यालय श्रीगंगानगर द्वारा Computerised Land Records online करते समय CheckList जमाबंदी कासे फाईनल करने के सम्बन्ध में प्रावधान एवं नियमों की प्रमाणित प्रति।	राजस्थान लैंड रिकॉर्ड रूल्स 1957 के भाग प्रथम अध्याय 06 व 07 तथा नियम 169 डी से 169 के तक है जिसकी नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर कार्यालय से प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते है।
9	यहकि तहसील कार्यालय श्रीगंगानगर द्वारा Computerised Land Records online कार्य पूर्ण होने के बाद आज दिनांक 26.06.2021 तक तहसील श्रीगंगानगर में कितने खातों में शुद्धि की जा चुकी है कि सम्पूर्ण जानकारी की प्रमाणित प्रति।	आपके द्वारा किसी भी चक या खाता नं. का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः कार्यालय समय में निर्धारित शुल्क जमा करवाकर रिकॉर्ड का अवलोकन कर प्रति प्राप्त करें।
10	यह कि तहसील कार्यालय श्रीगंगानगर द्वारा किस वर्ष में कृषि भूमि हैक्टर में की गई थी के आदेश की प्रमाणित प्रति।	डी आइ एल आर एम एफ राष्ट्रीय स्तर की योजना है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2012-13 के क्रम में सम्पूर्ण 01.11.2012 से शुरू हुई इस बाबत जारी विभिन्न आदेश की प्रमाणित प्रति/ अवलोकन नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर प्राप्त करें।
11	यह कि पटवार मण्डल मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर की कृषि भूमि चक 7 एफ बड़ा संवत 2067-70 के खाता संख्या 19 के मुरब्बा नं 7, 41, 42	आपके द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नावाचक होने के कारण सूचना के अधिकार में देय नहीं है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

में हरीराम, मालूराम पि.
साजनराम ब.हि.ब. 41/12
हि. कृषि भूमि को हैक्टर में
परिवर्तन करने की पूर्ण
प्रक्रिया की प्रमाणित प्रति।

-sd-
तहसीलदार (भू.अ.)
श्रीगंगानगर

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ने अपने पत्र दिनांक 11.10.2021 से अपील क जवाब प्रेषित किया है जिससे उनके द्वारा अपीलार्थी को उसके प्रार्थना पत्र पर कोई जवाब दिया जाना प्रतीत नहीं होता है, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप-धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा दिये गये अपील के जवाब में अंकित बिन्दु संख्या 1, 3, 4, 8, 9, 10 की सूचना अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार उपलब्ध करवाई जावे और बिन्दु संख्या 2, 5, 6, 7, 11 की सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण देय नहीं है, की सूचना भी अपीलार्थी को दी जावे। आदेश की प्रति तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर को **पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद त्रतीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर